प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/22 दिनांक 29/1/2022

2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– **120बी भा0दं0सं0**
(3) अधिनियम .... धाराये :–..
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 674 समय 1:00 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **28.01.2022** समय **11.06 ए0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **27.01.2022** समय **6.30 पी0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **कम्प्यूटराईज्ड**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी **:– चौकी से बदिशा पूर्व करीबन 05 किलोमीटर**
(ब) पता :– **कार्यालय आबकारी अधिकारी जिला बाड़मेर**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता
(अ) नाम :– **श्री पताराम**
(ब) पिता का नाम :– **श्री दुर्गाराम**
(स) जन्मतिथि / वर्ष :– **उम्र 25 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी............................
(र) व्यवसाय :– **शराब ठेकेदार**
(ल) पता :– **गांव नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर**

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रघुमल खत्री उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी स्कूल के पीछे, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर हाल आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9929128405**
   2. **श्री बांकाराम पुत्र श्री सरदाराराम जाति देवासी उम्र 27 वर्ष पैशा कम्प्यूटर कार्य निवासी जेरुपोणियो का तला, सारणो का तला, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9799313799**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 15,000 रुपये फोन पे से प्राप्त करना**

11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)...

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

२।५

सेवामे,

श्रीमान् एडीशनल एस0पी0 साहब
ए0 सी0 बी0
बाड़मेर

विषय :– श्री राकेश खत्री आबकारी सी0आई0 एवं उसके दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कराने बाबत।

महोदयजी,

निवेदन मन् पताराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष पैशा शराब ठेकेदारी निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरे स्वयं के नाम से नोखड़ा में वर्ष 2021–22 में अंग्रेजी–देशी शराब की दुकान आंवटित हो रखी है। उक्त नोखड़ा दुकान पर श्री राकेश खत्री आबकारी सी0आई0 का हल्का लगता है, जिनका स्थानान्तरण माह जनवरी 2022 में गया था एवं नये सी0आई0 ने ऑफिस में ज्वोइन कर ली है। आज दोपहर समय 2.26 मीनट पर श्री राकेश खत्री के मोबाईल नम्बर 9929128405 से मेरे मोबाईल नम्बर 8003730321 पर वाट्सअप कॉल आया एवं मुझे कहा कि मेरा स्थानान्तरण हो चुका है एवं आपकी दुकान के गाह नवम्बर व दिसम्बर 2021 की मंथली के 20,000रुपये रिश्वत की मांग की एवं कहा कि आपके पास एक कॉल आयेगा व वह व्यक्ति जो फोन पे नम्बर देगर, उस पर मेरी जो दो माह की मंथली बकाया है वह फोन पे कर देना। उसके बाद में समय 2.32 पी0एम0 पर मेरे मोबाईल वाट्सअप पर मोबाईल नम्बर 9799313799 से वाट्सॲप कॉल आया एवं मुझे बोला कि श्री राकेश जी सी0आई0 ने मेरे उक्त मोबाईल नम्बर पर 20 हजार रुपये उनकी बकाया मंथली के फोन पे करने के लिए मुझे कहा है, आप मेरे इसी फोन नम्बर पर 20 हजार रुपये फोन पे कर देना, जिस पर मैने कहा ठीक है। मै मेरे जायज कार्य के लिए श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी बाड़मेर एवं उसके दलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिस या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन देन बकाया है। मैं श्री राकेश खत्री एवं उसके दलाल से आज दिनांक 27.01.2022 को वाट्अप कॉल से हुई वार्ता के स्क्रीनशाट की प्रति संलग्न पेश कर रहा हूँ।

अतः रिर्पोट कर प्रार्थना है कि कानूनी कार्यवाही करावे।

इति दिनांक –27 01.2022

एसडी / –
रामनिवास
27.01.22

भवदीय,
–एसडी / –
(पताराम)
मोबाईल नम्बर 8003730321

एसडी / –
नरेन्द्र कुमार
कनिष्ठ लेखाकार
एसई पीएचईडी
सर्किल बाड़मेर
28 / 01 / 22

एसडी / –
गजेन्द्रसिंह
8005723365
28 / 01 / 2022